

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा०प्र०स०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा, सारण, रोहतास, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, किशनगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं सिवान।

पटना, दिनांक—**२०३०** 2018

विषय:— बजट मुख्य शीर्ष 2053—जिला प्रशासन—००—०९३—जिला स्थापनाएँ—०००१— जिला प्रशासन (विपत्र कोड—३३-२०५३०००९३००१) मांग संख्या—३३ के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,53,43,100/- (एक करोड़ तिरेपन लाख तेतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053—जिला प्रशासन—००—०९३—जिला स्थापनाएँ—०००१—जिला प्रशासन (विपत्र कोड—३३-२०५३०००९३००१) मांग संख्या—३३ के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,53,43,100/- (एक करोड़ तिरेपन लाख तेतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—२५६१ दिनांक १७ अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि भालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्त अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:— यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
४
सरकार के अपर सचिव

संख्या—5 / बजट 1-02/2017 साठे—.....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मैल
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा०प्र०स०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सहरसा, सारण, रोहतास, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, किशनगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी
चम्पारण (मोतिहारी) एवं सिवान।

पटना, दिनांक—

2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,53,43,100/- (एक करोड़ तिरेपन लाख तेतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 1,53,43,100/- (एक करोड़ तिरेपन लाख तेतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जायेताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्त अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:— यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-५/बजट १-०२/२०१७ सा०— ६७ / पटना, दिनांक— २०.३. / २०१८

प्रतिलिपि :— महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा, सारण, रोहतास, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, किशनगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएँ-001-जिला प्रशासन) आवंटन।-

क्र०	इकाइ वर्द्ध	सहस्रा	सारण	रोहतास	समस्तीकृ	खगड़िया	नवादा	किशनगंज	बैगुमराय	शैखुल्ला	पूरी चम्पारण (नोनिहारी)	सिवान	कुल
1	वर्तन	5,00,000	4,00,000	0	6,00,000	0	0	0	0	0	2,00,000	17,00,000	
2	जीवन यापन भत्ता	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000	0	0	0	0	0	1,00,000	91,00,000	
3	मलान किरणा भत्ता	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
4	चिकित्सा भत्ता	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	6,000
5	अन्य भत्ता	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
	बेतन-भत्ता का योग -	35,50,000	34,00,000	0	36,00,000	0	0	0	0	0	0	3,03,000	108,53,000
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	40,100	2,75,000	0	1,50,000	0	2,00,000	0	0	0	0	6,65,100
7	यात्रा व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
8	कार्यालय व्यय	0	0	0	0	0	0	0	3,00,000	0	4,00,000	7,00,000	
9	वाहन का ईधन एवं रख-रखाव	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	0	2,70,000	3,70,000	
10	दूसरा व्यय	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
11	वर्द्ध / पोशाक	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	65,000	95,000
12	आतिथ्य व्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
13	समग्री एवं पूर्जीयों	0	0	0	0	0	0	0	3,00,000	0	1,50,000	4,50,000	
14	समिता संघर्ष	0	0	0	5,00,000	0	3,00,000	0	5,00,000	0	2,00,000	6,00,000	21,00,000
	कुल योग-	35,50,000	34,40,100	2,75,000	41,00,000	1,50,000	3,00,000	2,00,000	5,00,000	7,40,000	2,00,000	18,88,000	153,43,100

(एक करोड़ तिरेपन लाख तोतालीस हजार एक सौ रुपये) मात्र।

१

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग